[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 6/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 19 जून, 2017
29 ज्येष्ठ 1939, शक

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सत्यापन की रीतियां अधिसूचित करता है, अर्थात् :--
(i) आधार आधारित इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट (ईवीसी) ;
(ii) बैंक खाता आधारित एक बार का पासवर्ड (ओटीपी) :
परंतु जहां किसी दस्तावेज के सत्यापन की रीति पूर्वोक्त किसी एक रीति के माध्यम से है, वहां ऐसा सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो दिन के भीतर किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार